अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

38 08.12.2023	न्यायालय उपायुक्त, राँची एस० ए० आर० अपील वाद सं० 37 आर० 15/2016–17 (1) विशो नायक उर्फ विशेश्वर नायक, पिता–स्व० धनपत नायक (2) नन्दकिशोर नायक पिता स्व० देबु नायक उर्फ देवेन्द्र नायक (3) कृष्णा नायक, पिता स्व० देबु नायक उर्फ देवेन्द्र नायक (4) जलेश्वर नायक पिता–स्व० हितु नायक उर्फ हितनारायण नायक (5) नवीन नायक उर्फ नागेन्द्र नायक, पिता–स्व० हितु नायक उर्फ हितनारायण नायक (6) दिगम्बर नायक पिता–स्व० लगन नायक (7) श्रवण नायक पिता–स्व० लगन नायक (8) कामेश्वर नायक पिता–स्व० लगन नायक (9) ओमनाथ नायक उर्फ अनाथ नायक, पिता–स्व० लगन नायक (10) लखी नारायण नायक, पिता–स्व० लगन नायक, सभी निवासी ग्राम ओबरिया, थाना–जगरनाथपुर, जिला–राँची .... अपीलकर्त्ता बनाम् (1) सुकरा मुण्डा पिता स्व० पुसुवा मुण्डा (2) जेठुआ मुण्डा पिता स्व० जतरू मुण्डा (3) बिरसा मुण्डा पिता स्व० सुकर मुण्डा (4) भगत मुण्डा पिता स्व० सोमरा मुण्डा (5) बुधुवा मुण्डा पिता स्व० मतलु मुण्डा (6) भोथे मुण्डा पिता स्व० कान्हु मुण्डा सभी निवासी ग्राम–ओबरिया, थाना–जगरनाथपुर, जिला राँची .... उत्तरवादी आदेश प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता ने श्री जेवियर हेरेंज, विद्वान विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची के द्वारा एस० ए० आर० वाद सं० 321/2012–13 मे दिनांक 27.06.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची ने उत्तरवादी के द्वारा अपीलकर्त्ता के खिलाफ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71ए० के अन्तर्गत दायर आवेदन को	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

स्वीकार करते हुए मौजा–ओबरिया, थाना–जगरनाथपुर, थाना नं0–297, जिला राँची के खाता सं० 130, प्लॉट सं० 725, रकबा 2.18 एकड़, प्लॉट सं०–569 रकबा 0.21 एकड़, प्लॉट सं०–617 रकबा 1.81 एकड़, एवं प्लॉट सं०–621 रकबा 0.65 एकड़ कुल रकबा–4.85 एकड़ भूमि को उत्तरवादी के पक्ष मे वापस करने का आदेश पारित करते हुए तकरारी भूमि पर यदि कोई संरचना बनी हो तो उसे भी हटाकर 30 दिन के अंदर उत्तरवादी एवं खतियानी रैयत के वैध वंशजों को दखल–देहानी देने का आदेश अंचल अधिकारी नामकुम को निर्गत किया गया है।

विगत तिथि को बार–बार पुकार करवाने के बावजूद अपीलकर्त्ता की ओर से इस अपील वाद मे अग्रेतर कार्रवाई हेतु कोई उपस्थित नही हुआ। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अपलीकर्त्ता विगत कई तिथियों से इस अपील वाद मे उपस्थित नही हो रहे है। पुनः चेतावनी के उपरान्त आज भी पुकार पर अनुपस्थित पाये गये। अपीलकर्ता की ओर से न्यायालय के द्वारा दिनांक–24.10.2018 को दिये गये आदेश का अनुपालन करने एवं पुनश्चः दिनांक 10.03.2021 25.06.2021 एवं 26.11.2021 में स्मारित करते हुए एवं अंतिम चेतावनी दिनांक 25.04.2023 एवं एक और अंतिम चेतावनी दिनांक–25.08.2023 को दिये जाने के बावजुद भी, न्यायालय के द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हे अब इस अपील वाद के निष्पादन हेतु कोई अभिरूचि नही रह गया है। अतः प्रस्तुत अपील वाद की कार्रवाई उचित पैरवी के अभाव मे समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
राँची

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.12.30 02:11:05 -08:00
Location: 192.168.1.4

उपायुक्त
राँची